न्यायालय परगनाधिकारी अकबरपुर कानपुर देहात।

वाद सं० – 7 अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधिनियम

ग्राम – बारा, परगना व तहसील अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

प्रभात एजूकेशनल ट्रस्ट बनाम सरकार

निर्णय दि० 24/12/07

प्रस्तुत वाद प्रभातचन्द्र कुरेले पुत्र स्व० मन्नू लाल कुरेले प्रबन्धक प्रभात एजूकेशनल ट्रस्ट नि० रजि० आफिस बी०-23 पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया साइट-1 कानपुर नगर द्वारा धारा 143 ज०वि०अधि० के अन्तर्गत इस आशय से योजित किया गया है कि आराजी सं० 123ग रकबा 0.8190 हे० , 138/0.5120 हे० 138/0.5120 हे० , 138अ /0.0820 हे० 139/0.215 हे० कुल पाँच किता रकबा 2.1400 हे० लगानी 71.78 स्थित ग्राम बारा का वादी संक्रमणीय भूमिधर मालिक स्वामी काबिज व दखील है उक्त आराजी पर कृषि कार्य न होकर उक्त संस्था स्थापित करने हेतु निर्माण कार्य चल रहा है। उपरोक्त संस्था स्थापित करने में किसी ऐसे उपकरण का उपयोग नहीं किया जायेगा जिससे आस पास का वातावरण प्रदूषित हो। एवं वहाँ के आस पास की जनता को कोई भी असुविधा हो। अतः अन्त में अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रश्नगत प्रकरण की जाँच नायब तहसीलदार मलनेर से करायी गयी। लेखपाल / ना० तह० मलनेर की आख्या दिनांक 19-12-07 प्राप्त हुयी। उल्लिखित जाँच आख्या में उपरोक्त भूमि पर वर्तमान में कृषि कार्य नहीं हो रहा है गाटा सं० 138 पर एक पक्का कमरा तथा शेष रकबे पर बाउन्ड्रीवाल निर्माणाधीन है उपरोक्त कुल की सभी भूमि पर इन्जीनियरिंग कालेज के निर्माण हेतु बाउन्ड्री बनाने का कार्य वर्तमान समय में चल रहा है अतः उपरोक्त आराजी को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध लेखपाल/ नायब तहसीलदार की जाँच आख्या दिनांक 19-12-2007 से स्पष्ट है कि आराजी पर कृषि कार्य न होकर इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण हेतु बाउन्ड्रीवाल बनायी जा रही है अतः कृषि कार्य न होने के कारण उक्त आराजी को अकृषिक भूमि – घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः आराजी स्थित ग्राम बारा की गाटा सं० 123ग रकबा 0.819 हे० , 138/0.512 हे० 138/0.512 हे०, 138अ/ 0.082 हे०, 139/0.215 हे० कुल पाँच किता रकबा 2.140 हे० लगानी 71.78 रुपये को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। उक्त भूमि लगान से मुक्त की जाती है। तदनुसार प्रख्यापन पत्र जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक -24/12/07

Sd/- अपठित
(ए० के० अवस्थी)
परगनाधिकारी अकबरपुर
कानपुर देहात

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक -24/12/07

Sd/- अपठित
(ए० के० अवस्थी)
परगनाधिकारी अकबरपुर
कानपुर देहात।

न्यायालय परगनाधिकारी अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

वाद सं० –9 अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधिनियम

ग्राम – बारा, परगना व तहसील अकबरपुर जिला कानपुर देहात।

प्रभात एजूकेशनल ट्रस्ट बनाम सरकार

प्रख्यापन पत्र

1– धारा जिसके अधीन प्रख्यापन निर्गत क्रिया गया। :– धारा 143 ज०वि०अधिनियम

2– खातेदार का नाम पितृ नाम व निवास स्थान। :– प्रभासचन्द्र कुरेले पुत्र स्व0 मुन्नूलाल कुरेले प्रबन्धक प्रभात एजूकेशनल ट्रस्ट नि0 रजि0 आफिस जी023 पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया साइट–1 कानपुर नगर।

3– नाम ग्राम व परगना जहाँ गाटे स्थित है। :– ग्राम बारा परगना व तहसील–अकबरपुर कानपुर देहात।

4– गाटा सं0 रकबा जिसका प्रख्यापन किया गया। :– गाटासं0 123ग रकबा 0.819 हे0 136/0.512 हे0, 138/0.512 हे0, 138अ/0.082 हे0, 139/0.215 हे0 कुल पांच किता रकबा 2.140 हे0 लगान 71.78 रुपये।

दिनांक:– 24/10/92

(ए0 के अवस्थी)
परगनाधिकारी
अकबरपुर कानपुर देहात।

प्रतिलिपि :– 1– तहसीलदार अकबरपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2– उपनिबन्धक अकबरपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– श्री प्रभास चन्द्र कुरेले पुत्र स्व0 मुन्नू लाल कुरेले प्रबन्धक प्रभात एजूकेशनल ट्रस्ट नि0 रजि0 आफिस जी0–23 पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया साइट–1 कानपुर नगर को सूचनार्थ।

दिनांक:– 24/10/92

(ए0 के0 अवस्थी)
परगनाधिकारी
अकबरपुर कानपुर देहात।

न्यायालय एस0 डी0 कुमार, एस0डी0एम0/उपजिलाधिकारी अकबरपुर, कानपुर देहात।
वाद सं0- 4 अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0 अधिनियम।
ग्राम- बारा सहति अकबरपुर जिला कानपुर देहात।

प्रधान एजूकेशन ट्रस्ट बिजय इंदराम बनाम राज्य सरकार।

प्रमाण[illegible]

1- धारा जिसके अधीन प्रमाणपत्र निर्गत किया गया।	धारा 143 ज0वि0 अधिनियम।
2- आवेदक का नाम, पिता का नाम व निवास स्थान।	प्रधान एजूकेशन ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक कामतेन्द्र दुबे पुत्र कृष्णकान्त दुबे नि0 बी-23 आर0एच0-1 कर्रही [illegible] कानपुर नगर।
3- नाम ग्राम व परगना जहाँ भूमि स्थित है।	ग्राम बारा सहति व परगना अकबरपुर जिला कानपुर देहात।
4- गाटा संख्या व रकबा जिसका प्रमाणपत्र दिया गया।	खाता सं0 1067 गाटा सं0 193 रकबा 0.297हे0 व गाटा सं0 121 अ रकबा 0.410 हेक्टेयर कुल भाग।

दिनांक- 7-12-09

(एस0 डी0 कुमार)
एस0डी0एम0/उपजिलाधिकारी
अकबरपुर, कानपुर देहात।

प्रतिलिपि:- 1- तहसीलदार अकबरपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2- उपनिबन्धक अकबरपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3- सम्बन्धित आवेदक/वादी को सूचनार्थ।

दिनांक- 7-12-09

(एस0 डी0 कुमार)
एस0डी0एम0/उपजिलाधिकारी
अकबरपुर-कानपुर देहात।

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी अकबरपुर, कानपुर देह
वाद सं0- 4 अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0 अधिनियम ।
ग्राम- बारा तहसील अकबरपुर जिला कानपुर देहात ।
प्रभात एजूकेशनल ट्रस्ट शिक्षण संस्थान बनाम राज्य सरकार ।

निर्णय

प्रश्नगत प्रकरण में प्रभात एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक प्रभासचन्द्र कुरेले पुत्र मुन्नूलाल कुरेले नि0 जी-23 साइट-1 पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया कानपुर नग ने इस आशय का प्रार्थना पत्र व शपथपत्र दिनांक 2-7-2009 को प्रस्तुत करते निवेदन किया है कि प्रार्थी ने ग्राम बारा की कृषि आराजी गाटा संख्या रकबा 0.297 हे0 व गाटासं0 121झ रकबा 0.410 हे0 भूमि का प्रार्थी संक्र भूमिधर है जिसमें बाउन्ड्रीवाल का निर्माण चल रहा है तथा उपरोक्त आरा शिक्षण संस्थान का निर्माण हो चुका है जिसमें शिक्षण कार्य चल रहा है उपरो भूमि अकृषिक है कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है और अब उपरोक्त भूमि कृ प्रयोजन हेतु नहीं है अन्त में उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित करते हुए लगा माफ किये जाने की याचना की गई है जिसमें तहसीलदार अकबरपुर से आख्या मंगाई गई । राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 5-10-09 व तहसीलदार की आख्या दि0 13-11-09 प्रस्तुत करते हुए कहा है कि गाटा सं0 133/0. व गाटा सं0 121 झ/0.410 हे0 भूमि वर्तमान में परती है गाटा सं0 133 प इन्जीनियरिंग कालेज व बाउण्ड्री वाल बनी हुई है भूमि अकृषिक है किसी ने आपत्ति नहीं किया है ।

मैंने उपरोक्त पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रा0नि0 अकबरपुर की आख्या दि0 5-10-09 जिसे तहसीलदार अकबरपुर ने दि0 13-11-09 को अग्रसारित किया है अतः रा0नि0 अकबरपुर की आख्या व तहसीलदार की आख्या दिनांक 13-11-09 की पुष्टि करते उपरोक्त भूमि अकृषिक घोषितकिये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है ।

आदेश

अतः उक्त वाद में रा0नि0 की आख्या दि0 5-10-09 व तहसीलदा की आख्या दिनांक 13-11-09 की पुष्टि करते हुए ग्राम बारा की आराजी गाटा सं0 133/0.297 व 121 झ/0.410 हे0 भूमि को अकृषिक घोषित करते लगान माफ किया जाता है । प्रख्यापन पत्र जारी हो । पत्रावली वाद अमल -द आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाय ।

दिनांक- 7-12-09

(एस0 सी0 शर्मा)
सहा0कले0प्र0श्रेणी/उपजिलाधिका
अकबरपुर, कानपुर देहात ।

PREPARED BY.
COMPARED BY

TRUE COPY.